भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1448

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्श बोर्ड

†1448. प्रो० सौगत राय :
श्री प्रह्लाद जोशी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्श बोर्ड कार्य कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो बोर्ड की संरचना का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एन० एस० ए० बी० के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) आसूचना विभाग का आधुनिकीकरण कर आसूचना एकत्र कराने संबंधी प्रणाली को पुनर्गठित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (घ) : 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) ने जनवरी, 2015 में अपना कार्यकाल पूरा किया था। एनएसएबी के पुनर्गठन का कार्य चल रहा है।

(ङ) केन्द्र सरकार ने निकटतम सही समय पर आसूचना संबंधी जानकारियों का मिलान करने, विश्लेषण करने, उनका प्रचार करने और कार्रवाई करने के लिए पूरे देश में बहु एजेंसी केन्द्र (एमएसी) और सहायक बहु एजेंसी केन्द्र (एसएमएसी) स्थापित किए हैं। इस प्रणाली के माध्यम से राज्य की सुरक्षा एजेंसियों और विधि प्रवर्तन एजेंसियों सहित सभी सदस्य एजेंसियों के साथ सूचनाएं साझा की जाती हैं। आसूचना संग्रहण प्रणाली का उन्नयन/आधुनिकीकरण एक अनवरत प्रक्रिया है।